

अपर मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के पत्र संख्या 1560/81-2-2021-800 (94)/2017 के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में एन.एच.-19 (पुराना एन.एच.-2) मार्ग के किमी०- 538 चैनेज 537.955 के दायी पटरी पर, गाटा न० 1880, ग्राम- बरौरा, तहसील- बिन्दकी, जिला- फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) में नए रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.1106 हे० सरंक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० वचनबद्ध है कि उक्त प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण में बाधक वृक्षों का कम से कम पातन कार्य किया जायेगा चूँकि एक भी वृक्ष बाधक नहीं है इसलिये किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर


प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी
SIDDHARTH JAIN
Chis. Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited